

Eastern Railway
(Personnel Department)
17 N. S. Road, Kolkata - 700 001

Serial Circular No. 225/2019

No. E.787/O/PEN/Pt.XXIX

Kolkata, Dated: 25/10/2019

All Concerned

(as per standard list)

**Sub: Emoluments/Average emoluments for Pensionary benefits -
Master Circular**

A copy of updated Master Circular No. 55 on "Emoluments/Average emoluments for Pensionary benefits", received under cover Ministry of Railways (Railway Board)'s letter No. 2019/F(E)III/7/2 dated 14/10/2019 (RBE No. 169/2019), is enclosed for information and guidance.

DA: As above.

Ar.
(Anjan Ray)
Dy. Chief Personnel Officer/Gaz.
For Pr. Chief Personnel Officer
Phone No.:24104 (Rly.)

 25/10/19



सत्यमेव जयते

भारत सरकार (Government of India)

रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)

(रेलवे बोर्ड/ Railway Board)

पेंशनी लाभों के लिए परिलब्धियों/औसत परिलब्धियों

पर

मास्टर परिपत्र सं. 55

(अक्टूबर, 2019 में अपडेटेड)

Master Circular No. 55

(Updated in October, 2019)

On

**Emoluments/Average Emoluments for Pensionary
Benefits.**

**GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)**

No. 2019/F(E)III/7/2

New Delhi, Dated : 14.10.2019

**The GMs/Principal Financial Advisers,
All Zonal Railways/Production Units etc.,
(As per mailing list)**

Sub: Emoluments/Average Emoluments for Pensionary Benefits-reg.

Master Circular No. 55 on the concept of "Emoluments/Average Emoluments for Pensionary Benefits" was last brought out and circulated vide Board's letter No. F(E)III/Master Circular-3 (Emoluments) dated 18.04.1994. Railway Board have now decided to issue a consolidated Revised Master Circular on the subject for the information and guidance of all concerned.

2. While referring to this circular, the original letters referred to herein should be read for a proper appreciation. This circular is only a consolidation of the instructions issued so far and should not be treated as a substitution to the originals. In case of doubt, the original circular should be relied upon as authority.

3. The instructions contained in the original circulars referred to above, have only prospective effect from the date of issue unless specifically indicated otherwise in the concerned circular. For dealing with old cases, the instructions in force at the relevant time should be referred to; and

4. If any circular on the subject, which has not been superseded, has not been taken into consideration while preparing this consolidated letter, the said circular, which has been missed through oversight, should be treated as valid and operative. Such, a missing circular, if any, may be brought to the notice of the Railway Board.

EMOLUMENTS/AVERAGE EMOLUMENTS

1. Emoluments: - The expression –

(a) “emoluments”, for the purpose of calculating various retirement and death benefits, means the basic pay as defined in clause (i) of rule 1303 of the Code which a railway servant was receiving immediately before his retirement or on the date of his death:

Provided that the stagnation increment shall be treated as emolument for calculation of retirement benefits;

(b) “pay” in these rules means the pay in the revised scales under the Railway Services (revised pay) Rules, 2016;

Provided that ‘pay element’ of Running Staff shall also include fifty-five per centum of the basic pay for reckoning emoluments.

Note 1: If a railway servant immediately before his retirement or death while in service had been absent from duty on leave for which leave salary is payable or having been suspended had been reinstated without forfeiture of service, the emoluments which he would have drawn had he not been absent from duty or suspended shall be the emoluments for the purposes of this rule:

Provided that any increase in pay (other than the increment referred to in Note 4) which is not actually drawn shall not form part of his emoluments.

Note 2.: Where a railway servant immediately before his retirement or death while in service had proceeded on leave for which leave salary is payable after having held a higher appointment. Whether in an officiating or temporary capacity, the benefit of emoluments drawn in such higher appointment shall be given only if it is certified that the railway servant would have continued to hold the higher appointment but for his proceeding on leave.

Note 3.: If a railway servant immediately before his retirement or death while in service had been absent from duty on extraordinary leave, or had been under suspension, the period whereof does not count as service, the emoluments which he drew immediately before

proceeding on such leave or being placed under suspension shall be the emoluments for the purposes of this rule.

Note 4: If a railway servant immediately before his retirement or death while in service, was on earned leave and earned an increment which was not with-held, such increment though not actually drawn, shall form part of his emoluments:

Provided that the increment was earned during the currency of the earned leave not exceeding one hundred and twenty days, or during the first one hundred and twenty days of earned leave where such leave was for more than one hundred and twenty days.

Note 5: Pay drawn by a railway servant while on deputation to the Armed Forces of India shall be treated as emoluments.

Note 6: Pay drawn by a railway servant while on foreign service shall not be treated as emoluments, but the pay which he would have drawn under the railway, had he not been on foreign service shall alone be treated as emoluments.

Note 7: Where a pensioner who is re-employed in railway service elects in terms of clause (a) of sub-rule (1) of rule 33 or clause (a) of sub-rule (1) of rule 34 to retain his pension for earlier service and whose pay on re-employment has been reduced by an amount not exceeding his pension, the element of pension by which his pay is reduced shall be treated as emoluments.

Note 8: Where a railway servant has been transferred to an autonomous body consequent on the conversion of Department of the Railways into such a body and the railway servant so transferred opts to retain the pensionary benefits under the rules of the railway, the emoluments drawn under the autonomous body shall be treated as emoluments for the purpose of this rule.

(Authority: Rule 49 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993)

2. Average emoluments:-

Average emoluments shall be determined with reference to the emoluments drawn by a railway servant during the last ten months of his service.

Note 1: If during the last ten months of his service a railway servant had been absent from the duty on leave of which leave salary is payable or having been suspended had been reinstated without forfeiture of service, the emoluments which he would have drawn, had he not been absent from duty or suspended, shall be taken into account for determining the average emoluments:

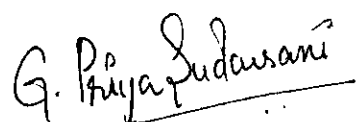
Provided that any increase in pay (other than the increment referred to in Note 3) which is not actually drawn shall not form part of his emoluments.

Note 2: If during the last ten months of his service, a railway servant had been absent from duty on extraordinary leave, or had been under suspension the period whereof does not count as service, the aforesaid period of leave or suspension shall be disregarded in the calculation of the average emoluments and equal period before the ten months shall be included.

Note 3: In the case of a railway servant who was on earned leave during the last ten months of his service and earned an increment, which was not withheld, such increment, though not actually drawn shall be included in the average emoluments;

Provided that the increment was earned during the currency of the earned leave not exceeding one hundred and twenty days, or during the first one hundred and twenty days of earned leave where such leave was for more than one hundred and twenty days.

(Authority: Rule 50 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993)


(G. Priya Sudarsani)
Director, Finance (Estt.),
Railway Board.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2019/एफ(ई)-111/7/2

नई दिल्ली, दिनांक: 14.10.2019

महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां आदि
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: पेंशन संबंधी लाभ के लिए परिलब्धियां/औसत परिलब्धियां के लिए अईक सेवा।

‘पेंशन संबंधी लाभ के लिए परिलब्धियां/औसत परिलब्धियों’ के संबंध में मास्टर परिपत्र सं.55 पिछली बार बोर्ड के दिनांक 18.04.1994 के पत्र सं.एफ(ई)111/मास्टर परिपत्र-3 (परिलब्धियां) के तहत प्रकाशित और परिपत्रित किए गए थे। अब रेलवे बोर्ड द्वारा इस विषय पर सभी संबंधितों की सूचना और मार्गदर्शन के लिए समेकित संशोधित मास्टर परिपत्र जारी करने का विनिश्चय किया गया है।

2. इस परिपत्र का उल्लेख करते समय, सही मूल्यांकन के लिए इसमें उल्लिखित मूल पत्रों को पढ़ा जाए। यह परिपत्र अब तक जारी किए गए अनुदेशों का संकलन मात्र है और इसे मूल परिपत्रों के बदले नहीं समझा जाना चाहिए। संदेह की स्थिति में, मूल परिपत्र को प्रामाणिक मानकर उस पर ही भरोसा किया जाए।

3. जब तक संबंधित परिपत्र में विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, मूल परिपत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेश उनके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। पुराने मामलों पर कार्रवाई करने के लिए, संबद्ध समय पर लागू अनुदेशों का अवलोकन किया जाए; और

4. इस समेकित परिपत्र को तैयार करते समय, यदि इस विषय पर किसी परिपत्र को, जिसका अधिक्रमण नहीं किया गया है, ध्यान में न लिया गया हो, तो गलती से छूट गए उस पुराने परिपत्र को ही वैध तथा प्रभावी माना जाए। ऐसे छूट गए परिपत्र को, यदि कोई हो, रेलवे बोर्ड के संज्ञान में लाया जाए।

परिलब्धियां/औसत परिलब्धियां

1. परिलब्धियां: पद-

(क) "परिलब्धियां", विभिन्न सेवानिवृत्ति और मृत्यु प्रसुविधाओं की संगणना के प्रयोजन के लिए, संहिता के नियम 1303 के खंड (1) में यथा-परिभाषित ऐसा मूल वेतन अभिप्रेत है जो रेल सेवक अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व या अपनी मृत्यु की तारीख को ले रहा था:

परंतु कि वृद्धिरूद्ध वेतनवृद्धि सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं की संगणना के लिए परिलब्धियां समझी जाएंगी।

(ख) इन नियमों में "वेतन" से रेल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1986 के अधीन पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन अभिप्रेत है;

परंतु परिचालन कर्मचारिवृंद के "वेतन तत्व" के अन्तर्गत परिलब्धियों की संगणना के लिए पचपन प्रतिशत मूल वेतन भी है।

टिप्पण-1:- यदि कोई रेल सेवक, अपनी सेवानिवृत्ति से या सेवा में रहते हुए मृत्यु से ठीक पूर्व कर्तव्य से ऐसी छुट्टी पर अनुपस्थित था जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है, अथवा निलंबित किए जाने के पश्चात् सेवा का सम्पहरण हुए बिना बहाल कर दिया गया था वे परिलब्धियां जो उसे तब मिलती जब वह कर्तव्य से अनुपस्थित न रहा होता या निलंबित न किया गया होता, इस नियमों के प्रयोजन के लिए परिलब्धियां होंगी:

परंतु (टिप्पण 4 में निर्दिष्ट वेतन वृद्धि से भिन्न) वेतन में कोई भी वृद्धि जो वस्तुतः ली न गई हो, उसकी परिलब्धि का भाग नहीं होगी।

टिप्पण-2:- जहां कोई रेल सेवक, अपनी सेवानिवृत्ति से या सेवा में रहते हुए मृत्यु से ठीक पूर्व ऐसी छुट्टी पर, जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है, कोई उच्चतर नियुक्ति स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में पारित करने के पश्चात् चला गया था वह ऐसी उच्चतर नियुक्ति पर ली गई परिलब्धियों की प्रसुविधा केवल तभी दी जाएगी जब वह प्रमाणित कर दिया जाए कि यदि रेल सेवक छुट्टी पर न गया होता तो वह उस उच्चतर नियुक्ति पर बना रहता।

टिप्पण-3:- यदि कोई रेल सेवक अपनी सेवानिवृत्ति से या सेवा में रहते हुए मृत्यु से ठीक पूर्व असाधारण छुट्टी पर कर्तव्य से अनुपस्थित रहा था अथवा ऐसे निलंबित रहा था कि उसकी अवधि की गणना सेवा के रूप में नहीं हो सकती तो वे परिलब्धियों, जो उसे ऐसे छुट्टी पर जाने से अथवा निलंबित किए जाने से ठीक पूर्व मिल रही थीं, इस नियम के प्रयोजनों के लिए परिलब्धियां होंगी।

टिप्पण-4:- यदि कोई रेल सेवक अपनी सेवानिवृत्ति से या सेवा में रहते हुए मृत्यु से ठीक पूर्व, अर्जित छुट्टी पर था और उसने वेतनवृद्धि अर्जित की जो विचारित नहीं की गई तो ऐसी वेतन वृद्धि, यद्यपि, वस्तुतः न ली गई हो, उसकी परिलब्धियों का भाग होगी:

परंतु यह तब जबकि वेतन वृद्धि एक सौ बीस दिन से अनधिक की अर्जित छुट्टी के चालू रहने के दौरान अथवा एक सौ बीस दिन से अधिक की अर्जित छुट्टी की दशा में प्रथम एक सौ बीस दिन की अर्जित छुट्टी के चालू रहने के दौरान अर्जित की गई हो।

टिप्पण-5:- भारत की सशस्त्र सेनाओं में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए, रेल सेवक द्वारा लिया गया वेतन परिलब्धियां माना जाएगा।

टिप्पण-6:- अन्यत्र सेवा पर रहते हुए रेल सेवक द्वारा लिया गया वेतन परिलब्धियां नहीं माना जाएगा किंतु केवल वही वेतन जो उसने, यदि वह अन्यत्र सेवा में न रहा होता तो, रेल प्रशासन के अधीन लिया होता, परिलब्धियां माना जाएगा।

टिप्पण-7:- जहां कोई पेंशन भोगी, जो रेल सेवा में पुनः नियोजित किया गया है, नियम 33 के उप-नियम (1) के खंड (क) या नियम 34 के उप-नियम (1) के खंड (क) के निबंधनों के अनुसार पूर्ववर्ती सेवा के लिए अपनी पेंशन प्रतिधारित रखने का विकल्प करता है और उन्हें पुनः नियोजन पर जिसके वेतन में से ऐसी रकम, जो पेंशन से अधिक नहीं है कम की गई है, वहां पेंशन का तत्व, जिससे कि उसके वेतन को कम किया गया है, परिलब्धियों के रूप में माना जाएगा।

टिप्पण-8:- जहां कोई रेल सेवक रेल विभाग के स्वायत्त निकाय के रूप में संपरिवर्तित होने के फलस्वरूप किसी स्वायत्त निकाय में अंतरित किया गया है और इस प्रकार अंतरित रेल सेवक रेल के नियमों के अधीन पेंशन प्रसुविधाओं को प्रतिधारित करने का विकल्प करता है, वहां स्वायत्त निकाय के अधीन ली गई परिलब्धियों को इस नियम के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों के रूप में समझा जाएगा।

(प्राधिकार: रेल सेवा (पेंशन) नियमावली 1993 का नियम 49)

2. औसत परिलब्धियां:-

औसत परिलब्धियां रेल सेवक की सेवा के अंतिम दस मास के दौरान उसके द्वारा ली गई परिलब्धियों के प्रति निर्देश से अवधारित की जाएगी।

टिप्पण-1:- यदि रेल सेवक अपनी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान कर्तव्य से ऐसी छुट्टी पर अनुपस्थित था, जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है, अथवा निलंबित के जाने के पश्चात् सेवा के समपहरण हुए बिना बहाल कर दिया गया था तो वे परिलब्धियां, जो उसे तब मिलती जब वह कर्तव्य

से अनुपस्थित न रहा होता या निलंबित न किया गया होता, औसत परिलब्धियां, अवधारित करने के लिए लेखे में ली जाएंगी:

परंतु (टिप्पण 3 में निर्दिष्ट वेतन वृद्धि से भिन्न) वेतन में कोई भी वृद्धि जो वस्तुतः ली न गई हो, उसकी परिलब्धियों का भाग नहीं होगी।

टिप्पण-2:- यदि कोई रेल सेवक अपनी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान कर्तव्य से असाधारण छुट्टी पर अनुपस्थित रहा था, अथवा ऐसे निलंबित रहा था कि उसकी अवधि की गणना सेवा के रूप में नहीं हो सकती तो छुट्टी की या निलंबन की पूर्वोक्त अवधि की औसत परिलब्धियों की गणना करने में अवहेलना कर दी जाएगी, और दस मास से पहले की उतनी ही अवधि सम्मिलित कर ली जाएगी।

टिप्पण-3:- ऐसे रेल सेवक की दशा में जो सेवा के अंतिम दस मास के दौरान अर्जित छुट्टी पर था और जिसने ऐसी वेतन वृद्धि, जो निर्धारित नहीं की गई है, अर्जित कर ली है, तो ऐसी वेतन वृद्धि जो वस्तुतः ली न गई हो, औसत परिलब्धियों में सम्मिलित कर ली जाएगी:

परंतु यह तब जब कि वेतन वृद्धि एक सौ बीस दिन से अनधिक की अर्जित छुट्टी के चालू रहने के दौरान, अथवा एक सौ बीस दिन से अधिक की अर्जित छुट्टी की दशा में प्रथम एक सौ बीस दिन की छुट्टी के दौरान, अर्जित की गई हो।

(प्राधिकार: रेल सेवा (पेंशन) नियमावली 1993 का नियम 50)

जी. प्रिया सुदर्शनी

(जी. प्रिया सुदर्शनी)

निदेशक वित्त (स्थापना)

रेलवे बोर्ड